पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
वाराणसी

अधिसूचना

सं.– का/प्र/254/का.नि./2008

दिनांक 11.04.2023

वमकाधि/वमविप्र/वमसिदूई/वमविई/सा./टीआरडी/
वमचाप्र/वमसाप्र/वमवाप्र/वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त
समस्त समइं कार्यालय वाराणसी मंडल

विषय : वाराणसी मंडल के अधीन 50% विभागीय पदोन्नति कोटे के अंतर्गत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, लेवल–6 श्रेणी की रिक्तियों को चयन के माध्यम से भरने केसंबंध में।

वाराणसी मंडल के कार्मिक विभाग के अधीन 50% विभागीय पदोन्नति कोटे के अंतर्गत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, लेवल–6 श्रेणी के अंतर्गत 05 रिक्तियों (03 अनारक्षित, 01 अजा–1 एवं 01 अजजा) को चयन के माध्यम से भरने हेतु निर्णय लिया गया है। यह चयन लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख तथा गोपनीय रपट की उपयुक्तता के आधार पर सम्पन्न कराया जायेगा। चयन का पाठ्यक्रम संलग्न है।

इस चयन में सम्मिलित होने के लिए वाराणसी मंडल में कार्मिक शाखा के वे सभी कर्मचारी पात्र होंगे जिन्होंने इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि को वरिष्ठ लिपिक लेवल–5 में दो वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लिया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आर0बी0ई0 सं0 196/2018 में दिये गये प्रावधान के अनुसार लिखित परीक्षा 90 मिनट की होगी जिसमें कुल 100 प्रश्नों के उत्तर ओ0एम0आर0 शीट पर देने होंगे। चयन में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे। चयन के लिए पात्र अभ्यर्थियों को 3x फार्मूला के आधार पर ही वरीयता के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम साथ में संलग्न है। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त रेल परिषद के निर्देशानुसार राजभाषा नीति एवं नियमों से संबंधित 10% प्रश्न पूछे जायेंगे, जो अनिवार्य नहीं होंगे। विकल्प देने वाले कर्मचारी यह स्पष्ट रुप से समझ लें कि सामान्यतः अनुपस्थिति लिखित परीक्षा नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी लिखित रुप से यह प्रमाणित करते हैं कि वह विषम परिस्थितियों जो उनके नियंत्रण से बाहर थी, के कारण निर्धारित तिथि पर लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके, तो ऐसे दावे को नियमों के आलोक में जॉचोपरान्त उन्हें अनुपस्थित लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने के लिए विचार किया जा सकता है, परन्तु इस संबंध में समय से साक्ष्य प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व संबंधित कर्मचारी का होगा।

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन संलग्न प्रोफार्मा में सभी सेवा विवरण के साथ भरकर अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से दिनांक 03.05.2023 तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। सभी नियंत्रक अधिकारी केवल कार्मिक शाखा के वरिष्ठ लिपिक का आवेदन अग्रसारित करके दिनांक 03.05.2023 तक अधोहस्ताक्षरी के पास प्रेषित कर देवें। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी इसे परीक्षा की तैयारी की सूचना भी समझें, इसकी लिखित परीक्षा किसी भी अल्प समय की सूचना पर करायी जा सकती है।

कृपया इसकी पावती भेजें तथा प्रचार प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा दें तथा साथ ही संबंधित कर्मचारियों को नोट भी करा देवें।

संलग्नक : पाठ्यक्रम एवं आवेदन प्रोफार्मा।

11/4/23
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का)
वाराणसी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महाप्रबंधक/कार्मिक/गोरखपुर
2. महाप्रबंधक/सतर्कता/गोरखपुर
3. वमकाधि/वाराणसी
4. वमविप्र/वाराणसी
5. मकाधि, सकाधि–I, II/वाराणसी
6. सभी मुख्य कार्याधी कार्मिक विभाग
7. Website :- ner.indianrailways.gov.in
8. मंडल मंत्री नरमू/अजा एवं अजजा, अपिव एसोसिएशन वाराणसी
9. अन्य प्रति

11/4/23
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का)

सेवा में,

मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
पूर्वोत्तर रेलवे
वाराणसी

विषय : कार्मिक विभाग में कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक वेतनमान 9300–34800+4200 ग्रेड पे/लेवल–06 के 50% पदोन्नति कोटा के अन्तर्गत रिक्तियों को चयन के माध्यम से भरे जाने के संबंध में।

संदर्भ : इस कार्यालय की अधिसूचना सं0

महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के संदर्भ में अपने निम्न सेवा विवरण सहित सम्मिलित होने हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर रहा है :–

1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. पद :
4. वेतनमान/वेतन दर/लेवल :
5. कार्यस्थल :
6. जन्मतिथि :
7. अस्थायी नियुक्ति/नियमित नियुक्ति तिथि :
8. वर्तमान वेतनमान में प्रवेश तिथि :
9. अजा/अजजा :
   (यदि हॉ है तो प्रपत्र संलग्न करें)
10. मोबाइल नं0 :

आवेदक के हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक

मुहर

SYLLABUS FOR SELECTION FOR THE POST STAFF WELFARE INSPECTORS LEVEL-06

----

1. History of the Railway, Conditions of Service.
2. Recruitment, Training and Promotion of Railway Employees including Compassionate Appointment and Act Apprentices.
3. Pay Fixation.
4. Leave Rules.
5. Staff Benefit Fund.
6. Labour Laws.
7. Joining Time Rules.
8. Welfare Measures for Railway Employees.
9. Settlement Benefits and Pension Rules according to Vth, VI, VII Pay Commission.
10. Medical Attendance Rules.
11. Advances.
12. DAR.
13. Pay Bills & Allowances according to Vth, VI, VII Pay Commission.
14. Grievances Handling.
15. Rajbhasha
16. SOPGEN & SOPEST.
17. Scout, Sports and Cultural Activities.
18. Railway Quarters Allotment Housing Committees.
19. Provident Fund Rules.
20. Industrial Psychology.
21. Pass Rules.
22. Redeployment of Surplus Staff and Man Power Planning.